दिनांक 01.11.2010 को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम गेस्ट हाउस में कार्यकारिणी समिति की सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति

श्री रवीन्द्र पाटनी	सभापति / महापौर	**अधिकारीगण**	
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	सदस्य	श्री उदय नारायण तिवारी	प्रभारी नगर आयुक्त
श्री कमल शुक्ल ''बेबी''	सदस्य	श्री आर0 पी0 शुक्ल	मुख्य अभियन्ता
श्री विनोद कुमार मिश्र ''ज्ञानू''	सदस्य	डॉ0 ओम नारायण पाण्डेय	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री राजेंश दुबे	सदस्य	डॉ0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी (चि0)
श्री इजहारूल असारी	सदस्य	श्री एच0 सी0 चौहान	निदेशक सी0सी0
श्रीमती प्रभा यादव	सदस्य	श्री के0 ए0 फरीदी	उप नगर आयुक्त
श्रीमती राबिया बेगम	सदस्य	श्री आर0 एम0 अस्थाना	यॉत्रिक अभियन्ता
श्रीमती सुमन गुप्ता	सदस्य	श्री एन0 एम0 चौधरी	अधिशाषी अभियन्ता (जलकल)
श्रीमती आशा सिंह	सदस्य	डॉ0 अनुराग सिंह	पशु चिकित्साधिकारी
श्री मो0 वसीक	सदस्य	श्री दीपक भटनागर	सहायक लेखाधिकारी
श्रीमती विद्या पासी	सदस्य		

ह0.....महापौर

सभापति ने बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सदस्यो को अवगत कराया कि चूँकि नगर आयुक्त को सूचना आयोग की बैठक में लखनऊ जाना पड़ा और अपर नगर आयुक्त ''प्रथम'' श्री उमाकान्त त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मद्द योजना के आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के कारण बैठक में भाग नही ले सके है । अतः आज की बैठक में श्री उदय नारायण तिवारी, प्रभारी नगर आयुक्त के रूप में भाग ले रहे है साथ ही कहा कि लोकतंत्र में नगर निगम निर्वाचित कार्यकारिणी एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसमें विभागाध्यक्षों के प्रमुखों द्वारा बैठक में समय से भाग न लिया जाना निन्दनीय है । इसके लिये नगर आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि इसे संज्ञान में लेते हुये अगली आहूत बैठकों में समस्त विभागाध्यक्षों को समय से भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाये ।

मार्गप्रकाश

सभापति ने यॉत्रिक अभियन्ता से पूछा कि पार्षदों को जो 05 सोडियम व 05 सी0एफ0एल0 लगाई जानी थी, उनकी क्या स्थिति है ? इस पर श्री अस्थाना ने बताया कि 05–05 सोडियम व 02–02 सी0एफ0एल0 प्रत्येक पार्षद के वार्ड में लगने के लिये जाने कार्यालय भेज दी गई है । शेष 03–03 सी0एफ0एल0 लगाये जाने के लिये कम्पनी को आर्डर दे दिया गया है । एक सप्ताह में सामग्री आते ही 10.11.2010 तक शेष 03–03 सी0एफ0एल0 भी लगवा दी जायेंगी । यॉत्रिक अभियन्ता ने यह भी बताया कि कार्यकारिणी के निर्देशानुसार नगर निगम के खम्भों पर 31.12.2010 तक कानपुर नगर निगम अंकित प्लेटें लगा दी जायेंगी ।

सभापति ने निर्देशित किया कि एक माह के अन्दर यह बताये कि कानपुर महानगर में किन–किन खम्भों पर लाइटें नही है वह खम्भें किस वार्ड में और कहॉ पर है ।

यॉत्रिक अभियन्ता ने कहा यह सूचना भी एक माह के अन्दर दे दी जायेगी ।

सभापति ने नीति निर्धारित करते हुये कहा कि विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं लगाने का कार्य क्षेत्रीय पार्षद की देख–रेख में कराया जाये ताकि विद्युत उपकरण सामग्री के उपभोग का सत्यापन हो सके और वार्डवार कराये गये कार्यो का विवरण भी अगली आहूत बैठक से पूर्व दिनांक 08.11.2010 तक उपलब्ध करा दिया जाये ।

अभियन्त्रण

सभापति ने अभियन्त्रण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11 के प्रेषित महापौर निधि/पार्षद निधि के कार्यो के विवरण की तरह अन्य मदों जिसमें वित्त आयोग, अवस्थापना निधि एवं रोड कटिंग मद आदि कार्यो का विवरण दिनांक 10.11.2010 तक देने के निर्देश दिये साथ ही जल निगम द्वारा कराई गई रोड कटिंग वाली सड़कों का निर्माण कब कराया जायेगा इसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये । उदाहरण देते हुये बताया कि वार्ड–68 के

ह0.....महापौर

क्षेत्रीय पार्षद श्री अब्दुल शरीफ ''पप्पू'' शाह ने बताया था कि उनके क्षेत्र में कराई जा रही रोड कटिंग के विषय में जब अभियन्त्रण खण्ड–6 से पूछा गया तब वहॉ के सहायक अभियन्ता ने बताया कि अनुमति दे दी गई है पर स्टीमेट अभी तैयार नही हुआ । ऐसी स्थिति से निपटने हेतु निर्देशित किया जाता है कि रोड कटिंग की धनराशि जमा कराने के पश्चात् ही रोड कटिंग करने की अनुमति दी जाये।

मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि जल निगम द्वारा खोदी गई ट्रेन्चों में जो 05 फिट से गहरी है तथा दो बरसात खा चुकी है वहॉ सड़कों का निर्माण कराया जायेगा और रोड कटिंग पर लगा खड़न्जा यदि कहीं धंस गया है तो उसे भी ठीक कराया जायेगा । रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में बताया कि जोन–2 व 3 के पार्षदों से मैंने व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि क्षेत्र में कराई जा रही रोड कटिंग को मेरे संज्ञान में लाया जाये तथा क्षेत्रीय पार्षद उस कार्य को रूकवा दें ताकि शीघ्र अग्रिम कार्यवाही कराई जा सकें, वैसे जल निगम द्वारा कराई जा रही रोड कटिंग के सम्बन्ध में मेरे द्वारा शासन और प्रशासन दोनो को अवगत कराया जा चुका है परन्तु अपेक्षित कार्यवाही नही हुई है । इस पर श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि नगर निगम का इतना बड़ा अभियन्त्रण विभाग क्या अक्षम है, पार्षद कार्य रूकवायें और झगड़ा मोल लें तथा अपने ऊपर मुकदमें लगवायें । अन्य कार्यकारिणी सदस्यों ने कहा कि अभियन्त्रण विभाग स्वयं इस पर ध्यान रखे और अवैध रोड कटिंग को रोके ।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि जोनल अभियन्ताओं द्वारा क्षेत्रीय पार्षदों को बुलाकर जो बैठक की गई है उसमें रू0 05–05 लाख के वित्तीय वर्ष 2011–12 के कार्यो के प्रस्ताव मॉगे गये है । इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूॅ कि जब पूर्व में आवंटित पार्षद निधि की धनराशि से ही कार्य नही कराये जा सके है तो अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव मॉगे जाना समझ से परे है ।

मुख्य अभियन्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुये कहा कि नगर आयुक्त महोदय द्वारा चूॅकि यह निर्देशित किया गया है कि अगले एक वर्ष की वरीयता में कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव जोनल अभियन्ताओं द्वारा बैठक कर सभी पार्षदों से मॉग लिये जाये और एक जोनल प्लान तैयार कर लिया जाये, जिसके अनुसार ही कार्य योजना तैयार कर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही कराई जाये ।

सभापति ने निर्णय दिया कि कार्यकारिणी की गत बैठक में तथा कार्यकारिणी एवं सभासद दल के नेताओं की बैठकों में तय हुआ था कि प्रत्येक पार्षद से उसके क्षेत्र के रू0 05–05 लाख के कार्य के प्रस्ताव पार्षद कोटे के अन्तर्गत लेकर उनके आगणन बनाकर 15 नवम्बर, 2010 तक निविदायें आमंत्रित कर कार्य कराये जायेंगे । उक्त बैठकों में नगर आयुक्त श्री आर0 विक्रम सिंह उपस्थित थे और वह भी उक्त निर्णय से सहमत थे । अतः तदानुसार कार्यवाही की जाये । सभापति ने निर्देशित किया कि आगामी दीपावली पर्व एवं छठ पूजा को दृष्टिगत रखते हुये सड़कों में पैच/मरम्मत तथा गोविन्द नगर रेलवे पुल के फुटपाथ तत्काल एक–दो दिन के अन्दर ठीक कराया जाये ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत जल निगम द्वारा कराई गई रोड कटिंग वाली सड़कों के निर्माण की स्थिति तथा लगाये गये खड़न्जे की स्थिति, सर्विस लेनों की सफाई का विवरण वार्डवार प्रेषित किया जाये ।

ह0.....महापौर

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने दैनिक समाचार पत्र जागरण में प्रकाशित सामान्य कर में 25 प्रतिशत की वृद्धि के समाचार की प्रति को लहराते हुये कहा कि बिना सदन/कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के सामान्य कर में वृद्धि कैसे की जा रही है जबकि पूर्व में ही जनता जी0आई0एस0 सर्वे द्वारा आरोपित करारोपण पर त्रस्त है क्योंकि पूर्व में तत्कालीन नगर आयुक्त महोदय ने व्यवस्था दी थी कि वार्डवार कैम्प लगाकर सभी भवन स्वामियों की आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही भवनों पर कर आरोपित किया जायेगा, जिसका अनुपालन नही किया गया ।

सभापति ने प्रभारी नगर आयुक्त को श्री सत्येन्द्र मिश्र के कथन पर अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु निर्देशित किया ।

प्रभारी नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सम्पत्तिकर नियमावली में उल्लिखित है कि प्रत्येक भवन स्वामी चार वर्ष में अपने भवन में कराये गये परिवर्तन/परिवर्धन का उल्लेख करते हुये स्वयं कर आरोपित करेंगे और प्रत्येक दो वर्ष में वार्षिक किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जायेगी । वर्ष 2002 में स्वकर लागू करते हुये दरें निर्धारित की गई थी, जो चार वर्ष तक यथावत् रही । नगर आयुक्त द्वारा तत्समय इन दरों को समाचार पत्रों में प्रकाशित करते हुये भवन स्वामियों से अपात्तियॉ मॉगते हुये इन दरों को अन्तिम रूप दिया गया है ।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि जी0आई0एस0 सर्वे में हुई विसन्गतियों को को ही अभी तक दूर नही किया गया है । जनता उसी से परेशान है ऊपर से 25 प्रतिशत कर बढ़ाने की बात से ही जनता गश खाने लगी है साथ ही यह भी अवगत कराया जाये कि दिनांक 13.10.2010 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन किया गया अथवा नही । वार्डवार कैम्प लगवा कर कानपुर महानगर के भवन स्वामियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये आपत्तियों के निस्तारण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये । जिससे वर्तमान में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षकों द्वारा कर वसूली के दौरान जो अनियमितितायें बरती जा रही है उनसे भवन स्वामियों को राहत प्राप्त हो सके क्योंकि राजस्व निरीक्षकों द्वारा कहा जा रहा है कि कर निर्धारण मामलों में सुधार केवल नगर आयुक्त ही कर रहे है । इससे न तो विसंगतियॉ दूर हो पा रही है और न ही राजस्व की वसूली ही हो पा रही है ।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' एवं अन्य सदस्यों ने श्री सत्येन्द्र मिश्र के कथन पर सहमति व्यक्त की ।

प्रभारी नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि जी0आई0एस0 सर्वे के पश्चात् कानपुर महानगर के भवन स्वामियों को समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाते हुये कर निर्धारण के सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है तथा अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये समान्य कर के निर्धारण हेतु दरों का प्रकाशन किया जा चुका है । आपत्तियों के निस्तारण हेतु तत्समय से ही एक–एक प्रति जोनल कार्यालयों में तथा बिल भी प्रेषित किये जा चुके है जबकि कर निर्धारण प्रक्रिया अब भी चल रही है और जिसके तहत भवन स्वामियों की आपत्तियों का निस्तारण भी किया जा रहा है । इसके बावजूद भी अगर भवन स्वामी संतुष्ट न हो तो मा0 न्यायालय की शरण ले सकता है । अतः मा0 कार्यकारिणी से अनुरोध है कि आपत्तियों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित कर दी जाये ताकि सुधार का कार्यक्रम जो अनवरत चल रहा है उस पर विराम लग सके ।

ह0.....महापौर

श्री विनोद मिश्र ''ज्ञानू'' ने कहा कि वार्डवार कैम्प लगाकर भवन स्वामियों की आपत्तियों का निस्तारण कराया जाये ।

सभापति ने प्रभारी नगर आयुक्त से पूछा कि सामान्य कर में 25 प्रतिशत की वृद्धि किसके द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गई है । यदि किसी अधिकारी द्वारा वक्तव्य नही दिया गया है तो इसका खण्डन भी प्रकाशित करवाया जाये साथ ही अवगत कराया जाये कि जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर लागू किये गये सामान्य कर की सूची नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–210 के अनुरूप नगर आयुक्त द्वारा प्रमाणित एवं उसकी अधिसूचना जारी की जा चुकी है अथवा नही । जी0आई0एस0 सर्वे की रिपोर्ट को विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त जब सदन द्वारा निरस्त किया जा चुका था तो क्या दुबारा संशोधित प्रस्ताव सदन को प्रेषित किया गया है ? सभापति के उक्त प्रश्नों का कोई उत्तर श्री उदय नारायण तिवारी, प्रभारी नगर आयुक्त नही दे सके । परन्तु यह कहा कि कर निर्धारण की प्रक्रिया में संशोधन के लिये अन्तिम तिथि तय कर दी जाये ताकि यह प्रकरण समाप्त हो ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जी0आई0एस0 सर्वे की भ्रांतियों एवं विसंगतियों को दूर करने हेतु कानपुर महानगर के भवन स्वामियों को कर निर्धारण के सम्बन्ध में वार्डवार आपत्तियॉ मांगते हुये आपत्तियों के निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये दिनांक 30.11.2010 की समय सीमा के साथ विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये साथ ही जोनवार कर से आच्छादित/अनाच्छादित भवनों की संख्या तथा भेजी गई डिमाण्ड नोटिस के सापेक्ष की गई वसूली एवं किये गये संशोधनों की संख्या का विस्तृत विवरण भी अगली कार्यकारिणी समिति की आहूत बैठक में प्रस्तुत किया जाये । निर्णय हुआ कि 30.11.2010 तक सभी वार्डो में कैम्प लगाकर एवं सम्बन्धित क्षेत्र के पार्षद को सूचित कर कैम्प लगाये जाये तथा कर निर्धारण की विसंगतियों को दूर किया जाये । कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि वह कर निर्धारण की वर्तमान दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि से सहमत नही है और न ही इसकी अनुमति देती है ।

<u>उद्यान</u>

सभापति ने श्री एम0 पी0 सिंह, उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 में कराये गये पार्को के निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण तथा वृक्षारोपण के विवरण के साथ वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित सन्दर्भित कार्यो का विवरण प्रेषित किया जाये ।

<u>यातायात/विज्ञापन</u>

सभापति ने कहा कि पिछली कार्यकारिणी समिति की बैठक में दिये गये निर्णयों का अनुपालन नही किया गया जिस पर प्रभारी अधिकारी विज्ञापन एवं यातायात श्री आर0 एम0 अस्थाना ने अवगत कराया कि विवरण अभी तैयार नही किया जा सका है, फिर भी मैं विवरण एक–दो दिन में प्रस्तुत कर दूॅगा । सभापति ने आपत्ति प्रकट करते हुये प्रभारी नगर आयुक्त से कहा कि दिनांक 13.10.2010 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में विज्ञापन पटों की संख्या, डिवाइडरों पर रखें गमलों पर किये गये विज्ञापनों की संख्या, क्यास्कों, यूनीपोलो की संख्या एवं उसके सापेक्ष की गई वसूली का विवरण प्रस्तुत करने का

ह0.....महापौर

निर्णय लिया गया था जिसको प्रस्तुत नही किया गया, जो उचित नही है । अतः इसे संज्ञान में लेकर दिनांक 10.11.2010 तक विवरण प्रस्तुत करायें एवं अवैध होर्डिंग्स को हटवाने के अभियान में तेजी लाये तथा बकाया राशि की वसूली करवा कर आगामी बैठक में भी बतायें ।

..... सभापति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कानपुर महानगर में लगे विज्ञापन पटों की संख्या, डिवाइडरों पर रखें गमलों पर किये गये विज्ञापनों की संख्या, क्यास्कों, यूनीपोलो की संख्या एवं उसके सापेक्ष की गई वसूली का जोनवार विवरण दिनांक 10.11.2010 तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत किया जाये । इसी के साथ पी0पी0पी0 के आधार पर कराये जा रहे कार्यो की पत्रावलियॉ भी दिनांक 10.11.2010 तक प्रस्तुत की जाये ।

स्वास्थ्य विभाग

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी का सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों और सफाई नायकों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण शहर में चारों तरफ गन्दगी व्याप्त है जिसके परिणाम स्वरूप संक्रामक बीमारियॉ फैल रही है ।

श्री सत्येन्द्र मिश्रा ने कहा कि मैं भी श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' के कथन से सहमत हूॅ क्योंकि एक दिन नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने ही फागिंग हेतु समय निर्धारित किया था परन्तु दिनभर इंतजार करने के बाद सम्पर्क करने पर कहा गया कि दो दिन बाद फागिंग हो जायेगी परन्तु निर्धारित कार्य क्रमानुसार तथा पूर्ण समय तक फागिंग नही कराई जा रही है ।

सर्वश्री मो0 वसीक, विनोद मिश्रा, राजेश दुबे, प्रभा यादव, आशा सिंह एवं राबिया बेगम ने उक्त बातों से सहमति जताते हुये कहा कि इसी प्रकार से कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका में भी खेल हो रहा है, कहीं पर भी पूरे कर्मचारी जिनकी हाजरी लगती है काम नही करते है । हाजिरी में फर्जीवाड़ा चल रहा है । पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग इसमें शामिल है । महानगर में सफाई की बुरी हालत है और हम जनप्रतिनिधियों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है । श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि डॉ0 ओ0 एन0 पाण्डेय, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को कार्यमुक्त कर दिया जाये, यह लापरवाह और अक्षम है । इसका समर्थन शेष कार्यकारिणी सदस्यों ने भी किया ।

सभापति ने प्रभारी नगर आयुक्त से इसे संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्यवाही करने, महानगर में बिगड़ती सफाई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से ठीक करने एवं धनतेरस एवं दीपावली पर्व से पूर्व कानपुर महानगर में वार्डवार विधिवत् सफाई कराने के निर्देश दिये ।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि मार्गप्रकाश विभाग की गाड़ियों में सी0एन0जी0 न होने के कारण बन्द मार्गप्रकाश बिन्दु चालू नही किये जा पा रहे है । अतः तत्काल इसकी सी0एन0जी0 व्यवस्था कराई जाये तथा मार्गप्रकाश की गाड़ियों से विज्ञापन विभाग में कार्य न लिया जाये इससे मार्गप्रकाश का कार्य प्रभावित हो रहा है ।

निदेशक सिटी क्लींजिंग ने बताया कि सी0एन0जी0 आपूर्ति से सम्बन्धित पत्रावली लेखा विभाग में लम्बित है । जिस पर सहायक लेखाधिकारी श्री

भटनागर ने बताया कि सम्परीक्षा विभाग द्वारा आपत्ति लगाये जाने के कारण पत्रावली लम्बित है । मुख्य अभियन्त (सिविल) श्री आर0 पी0 शुक्ला ने भी लेखा विभाग की कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यक्त करते हुये कहा कि इनकी वजह से ही मथुरा रिफाइनरी से तारकोल नही क्रय किया जा सका है , परिणाम स्वरूप अभियन्त्रण खण्डों में तारकोल न होने के वजह से पैच मरम्मत तक का कार्य कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ।

सभापति ने निर्देशित किया कि सभी विभागों द्वारा अग्रिम सम्बन्धी समायोजन 15 दिन के अन्दर सम्परीक्षा विभाग से सम्पर्क करते हुये करा लिया जाये और इसमें लेखा विभाग को चाहिये कि स्वयं पहल कर इस कार्य को करायें ताकि नगर निगम के कार्य प्रभावित न हो । सभापति ने कहा कि पूर्व में लिये गये अग्रिम का समायोजन कराये बगैर सम्बन्धित विभाग को फिर से अग्रिम का भुगतान करना अनुचित है और आडिट विभाग की इसी प्रकार की शिकायतें ज्यादा रहती है ।

श्री विनोद मिश्र ''ज्ञानू'' ने कहा कि पर्यावरण एवं आबोहवा को लेकर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदेश पारित करता है कि पार्को को हरा–भरा एवं स्वच्छ रखा जाये जबकि मोतीझील लॉन के कुछ हिस्से में ए टू जेड संस्था द्वारा कूड़ा गाड़ियॉ खड़ी किये जाने की वजह से सुबह टहलने आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं नगर निगम की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अतः यह स्पष्ट किया जाये कि क्या ए टू जेड संस्था वालों को उक्त जगह आवंटित कर दी गई है और उक्त संस्था ने टीन शेड–पिलट् और जाली से बाड़ा कैसे बना लिया ?

सभापति ने कहा कि मार्निंग वाकर्स कारगिल पार्क, तुलसी उपवन तथा मोतीझील सुबह–शाम टहलने के लिये आते है ताकि शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें । ए टू जेड संस्था से नगर निगम, कानपुर द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं कूड़े अड्डो से कूड़े के उठान हेतु क्या अनुबन्ध किया जा चुका है और वह अभी तक कार्यकारिणी और सदन के सम्मुख नही आया ऐसा क्यों ? और क्या अनुबन्ध है कि नगर निगम उक्त संस्था को गाड़ियॉ खड़ी करने के लिये फ्री में स्थान उपलब्ध करायेगा ? सम्बन्धित संस्था कूड़ा लेने के लिये घरों से प्रतिमाह शुल्क लेगी, कूड़ा ढुलाई का धन नगर निगम देगा । अब फ्री गैराज बनाने के लिये स्थान भी देगा ? यह सब क्या हो रहा है ?

श्री विनोद मिश्र ''ज्ञानू'' की बात का समर्थन उपस्थित सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने किया और सभापति से इस सम्बन्ध में निर्णय देने को कहा ।

सभापति ने प्रभारी नगर आयुक्त से इस तथ्य और अनुबन्ध के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरी जानकारी नही है ।

इस पर सभापति ने सम्पत्ति प्रभारी उप नगर आयुक्त श्री के0 ए0 फरीदी से कहा कि वह पूरी जानकारी करके बतायें तथा यदि उक्त संस्था को पार्किंग के लिये स्थान दिया जाना है तो इसे मोतीझील के अलावा और कहीं दिया जाये और बिना किराये के तो बिल्कुल स्थान नही दिया जाये। कार्यकारिणी के सदस्यों ने उक्त किराये की राशि भी कार्यकारिणी की सहमति से ही तय करने की बात रखी जिसे स्वीकार कर लिया गया ।

सभापति ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अनुबन्ध किया गया है तो उक्त अनुबन्ध को कार्यकारिणी और सदन के सम्मुख रख कर कार्यकारिणी और

ह0.....महापौर

सदन की भी अनुमति ली जानी चाहिये । क्योंकि नगर निगम संवैधानिक रूप से चुने गये जनप्रतिनिधियों के द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित की जाने वाली स्थानीय

निकाय है ।

कैटिल–कैचिंग

सभापति ने पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 अनुराग सिंह को कैटिल कैचिंग अभियान से अवगत कराने के निर्देश दिये ।

पशु चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि कानपुर महानगर में कैटिल–कैचिंग अभियान प्राथमिकता एवं वरीयता के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है परन्तु संसाधनों की कमी के कारण वॉछित सफलता नही मिल पा रही है ।

मो0 वसीक ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की भी व्यवस्था की जाये, आये दिन नागरिकों को कुत्ते काट रहे है । अतः फुल प्रूफ गाड़ी में कुत्ते पकड़ कर लाये जाये जिससे कुत्तों को रास्ते में छोड़ा न जा सके ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कैटिल–कैचिंग अभियान की सफलता हेतु संसाधनों की उपलब्धता का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया जाये ।

सभापति ने महानगर में जितने भी प्रमुख महापुरूषों की मूर्तियॉ लगी हुई है उनमें छतरी के अभाव में अक्सर उनके ऊपर कई प्रकार की गन्दगी गिरती रहती है, जिससे महापुरूषों के प्रति असम्मानजनक भावना की स्थिति उत्पन्न होती है एवं नगर निगम की छवि भी प्रभावित होती है । अतः उन मूर्तियों के ऊपर पक्की छतरियों का भी निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया । अतिशीघ्र उक्त छतरियों के निर्माण कराने के निर्देश दिये ।

सभापति ने वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 कम्प्यूटर एवं उसके उपकरणों की खरीददारी एवं उनके स्थापन कार्य तथा वर्तमान स्थिति के विवरण को दिनांक 08.11.2010 तक प्रस्तुत करने के निर्देश प्रभारी नगर आयुक्त को दिये।

सभापति ने सदस्यों के हस्तगत (टेबुल) प्रस्तावों पर विचार–विमर्श करने के निर्देश दिये ।

प्रस्ताव संख्या –908

नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना ।

मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 07.06.2008 के कार्यवृत्त के प्रस्ताव संख्या– 632 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें ।

नगर महापालिका लेखा नियमावली में मुख्य नगर अधिकारी/नगर आयुक्त के अग्रिम स्वीकृति एवं भुगतान के अधिकार की सीमा मात्र रू0 10,000/– है । शासन द्वारा मुख्य नगर अधिकारी/नगर आयुक्त की स्वीकृत सीमा रू0 10,00,000/– (दस लाख) कर दी गई है, परन्तु अग्रिम के अधिकारी में रू0 10,000/– (दस हजार रूपया) की सीमा में कोई बढ़ोत्तरी नही हुई है । इस सीमा के ऊपर का अधिकार माननीय कार्यकारिणी में निहित है ।

मूल्यों में बढ़ोत्तरी एवं कार्यो की आवश्यकता आदि को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि अग्रिम की सीमा के नगर आयुक्त के अधिकारों में बढ़ोत्तरी हो जाये ।

ह0.....महापौर

तद्नुसार मा0 कार्यकारिणी के समक्ष नगर आयुक्त के रू0 10,00,000/– की स्वीकृत के बराबर अर्थात् रू0 10,00,000/– (दस लाख रूपया) की सीमा, अग्रिम की स्वीकृत/भुगतान का अधिकार प्रतिनिधायन करने का प्रस्ताव दिया गया था । इस प्रस्ताव पर मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त श्री मणि प्रसाद मिश्र को ही नाम से अधिकार प्रतिनिधायन किया था ।

चूँकि यह प्रतिनिधायन तत्कालीन नगर आयुक्त के नाम से था, अतः अब इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है । कार्यो की आवश्यकता एवं महत्ता को देखते हुये मा0 कार्यकारिणी समिति से अनुरोध करना है कि दिनांक 07.06.2008 के प्रस्ताव संख्या–632 के निर्णय में ''वर्तमान नगर आयुक्त श्री मणि प्रसाद मिश्र को ही'' के स्थान पर ''नगर आयुक्त को'' रखे जाने/पढ़े जाने की सहमति/स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति से करने का प्रस्ताव दिया जाता है ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में मुख्य नगर लेखा परीक्षक से अधिनियम में दिये गये प्राविधान के सम्बन्ध में आख्या मॉग ली जाये । उसके उपरान्त विचार किया जाये ।

<u>प्रस्ताव संख्या –909</u>

श्री विनोद मिश्रा ''ज्ञानू'' द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव पर विचार करना ।

जैसा कि आप अवगत है कि कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों का इतिहास समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ इससे स्पष्ट है कि नगर निगम प्रशासन शिक्षा विभाग के प्रति उदासीन है । अतः मेरा सुझाव है कि नगर निगम द्वारा संचालित अनुदानित विद्यालयों में विगत वर्षो से कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को जिन्हें सेवाओं से हटा दिया गया है जिन्होंने दस से पन्द्रह वर्षो तक शिक्षण कार्य किया है उन्हें जब तक चयनित अभ्यर्थी नही आते तब तक लखनऊ नगर निगम की भॉति संविदा पर रखा जाये, इससे एक ओर शिक्षकों की कमी व शिक्षण में असुविधा दूर होगी वहीं दूसरी ओर नगर निगम की विद्यालयों के प्रति सजगता भी प्रमाणित होगी ।

..... सभापति ने कहा कि उक्त प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने का निर्णय पूर्व में भी कार्यकारिणी एवं सदन द्वारा लिया जा चुका है । अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही आख्या सहित कार्यकारिणी की अगली बैठक में प्रस्तुत करें ।

<u>प्रस्ताव संख्या –910</u>

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' द्वारा प्रस्तुत संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रस्ताव पर विचार करना ।

कानपुर महानगर को नागरिक सुविधायें प्राप्त कराने के कार्यो को सम्पादित करने हेतु नगर निगम ने पूर्व से पदस्थ कर्मचारियों के लगातार सेवानिवृत्त होते रहने एवं रिक्त हो रहे पदो पर शासन एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा नयी भर्ती न होने से महानगर के दैनिक कार्यो में व्यवधान उत्पन्न होने से नगर निगम प्रशासन द्वारा रिक्त हुये पदों के अनुरूप कार्य करने हेतु दैनिक वेतन पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति लम्बे समय से होती रही है । इन कर्मचारियों को

ह0.....महापौर

शासन के आदेशानुसार मात्र रू0 100/– प्रतिदिन माह में बिना कोई अवकाश प्रदान किये भुगतान किया जा रहा है ।

नगर निगम में कर्मचारी हितों के प्रति संघर्षरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन इन दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों से नगर निगम में चल रहे रिक्त पदों पर समायोजित करने की बराबर मॉग कर रही है ।

अतः मेरा प्रस्ताव है कि जिस प्रकार से पूर्व वर्ष में तत्कालीन मा0 नगर प्रमुख जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये महापालिका अधिनियम 1959 की धारा 108 के अन्तर्गत दैनिक वेतन में कार्यरत कर्मचारियों के मुद्दे को हल करते हुये उन्हें नियमित वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव पास करके इन कर्मचारियों को लाभान्वित कराया था तथा शेष 25 प्रतिशत वेतन का भुगतान शासन के स्वीकृति के उपरान्त हुआ था । उसी के अनुसार वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित वेतन के रिक्त चल रहे पदों पर समायोजित करते हुये नियमित वेतन का 75 प्रतिशत भुगतान करने का प्रस्ताव स्वीकृत करने के साथ ही शेष 25 प्रतिशत के भुगतान की स्वीकृति शासन से प्राप्त करने हेतु नगर आयुक्त को आदेशित करने का कष्ट करें ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर आयुक्त इस सम्बन्ध में आख्या सहित कार्यकारिणी अगली बैठक में अवगत करायें ।

<u>प्रस्ताव संख्या –911</u>

श्रीमती प्रभा यादव द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना ।

अधोहस्ताक्षरी का वार्ड महाराजपुर विधान सभा के अन्तर्गत सिद्धनाथ, वाजीपुर, चकेरी के सभी गॉवो फूलों का कटोरा कहा जाता है । यहॉ का मुख्य व्यवसाय फूलों की खेती है । इन किसानों को अभी तक कोई भी स्थान शहर में नही दिया गया है जिससे माफिया वसूली करते है प्रति टोकरी प्रतिदिन 200 रूपये देते है । अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रार्थना पत्र में संलग्न स्थानों को चिन्हित कर नगर निगम की आय का श्रोत करने हेतु व्यवस्था करने का आदेश करने की कृपा करें, सभी किसानों का दल अधोहस्ताक्षरी से मिलकर अभी समस्या का निराकरण हेतु प्रार्थनीय है ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में जानकारी लेकर कार्यकारिणी की आगामी बैठक में प्रस्तुत अवगत करायें ।

<u>प्रस्ताव संख्या –912</u>

श्रीमती विद्या पासी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना ।

आज दिनांक 01.11.2010 कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है जिन पर क्रियान्वयन किया जाना नितान्त आवश्यक है :–

1. वार्ड के अन्तर्गत मलिन बस्तियों ज्योरा, पहलवानपुरवा व लल्लनपुरवा को कानपुर नगर निगम द्वारा भेज गये गृह कर अव्यवहारिक है क्योंकि गृह कर का निर्धारण विकसित क्षेत्रों की तरह किया गया है जबकि उक्त मलिन बस्तियों में न ही सीवर है न पानी की पाइप लाइन और न ही मार्ग है ऐसी दशा में वर्तमान में बस्तियों पर लागू किया गया गृह कर अविधिक है इसमें संशोधन कर अथवा उनका शुद्धीकरण करना न्यायसंगत होगा ।

2. वार्ड के अन्तर्गत एक प्रमुख सड़क अब सड़क नही रह गई जिसमें अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण होता जा रहा है जिससे सड़क का असतित्व ही समाप्त हो जायेगा । नवभारत निकेतन से यूनाइटेड डिजाइनिंग इन्सटीट्यूट होकर लल्लनपुरवा तिराहे तक की सड़क (माथुर साहब) का निर्माण नाली इण्टरलॉकिंग फुटपाथ के साथ अति आवश्यक है ।
3. मार्ग प्रकाश के अनुबन्धित कर्मचारीगण जो कि एक समय से निलम्बित है को बहाल कर तत्काल उन्हें स्थायी कराया/करा जाये है जिससे विभाग में कार्यक्षमता बढ़ सके ।
4. संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारी जिन्हें छः–छः महीने तक वेतन नही मिलता है ऐसी दशा में उनका परिवार परेशानी से ग्रसित रहता है । अतः इन कर्मचारियों को इनका वेतन प्रत्येक माह निर्गत किया जाये ।
5. मार्ग प्रकाश विभाग द्वारा खरीदे जाने वाले प्रकाश उपकरण जोनवार खरीदे जाये एवं इनके खरीदे जाने का अधिकार जोन प्रभारी को दिया जाये । विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाश उपकरणों को खरीदा जाता है एवं सामान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निर्गत किया जाता है इस दशा में किन्हीं दो वार्डो में जरूरत से ज्यादा प्रकाश उपकरण लग जाते है एवं किन्हीं वार्डो में आवश्यकता की पूर्ति भी नही हो पाती है । अतः जोनवार खरीद एवं व्यवस्था ही आवश्यकतानुरूप प्रकाश व्यवस्था स्थापित कर पायेगी जो कि न्याय संगत होगा ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आख्या सहित आगामी बैठक में बिन्दु 1, 3, 4 एवं 5 से अवगत करायें ।

<u>प्रस्ताव संख्या –913</u>

श्री रमाकान्त मिश्रा, महामंत्री, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करना ।

संघ के पत्र दिनांक 14.06.2010 संलग्न का अवलोकन करने की कृपा करें । आप द्वारा मार्गप्रकाश के एवजदारों के नियमितीकरण के सम्बन्ध में नगर आयुक्त महोदय को निर्देश दिनांक 17.06.2010 को दिये गये जिस पर आज तक कोई समुचित कार्यवाही नही की गई ।

शासन के पत्र दिनांक 28.05.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । शासन ने भी नगर आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अवगत कराने का निर्देश हुआ है किन्तु अभी तक नगर निगम ने आपके आदेश एवं शासनादेश पर कोई कार्यवाही नियमितीकरण के सम्बन्धित नही की गई है ।

अतः संघ का आपसे अनुरोध है कि अपने आदेश दिनांक 17.06.2010 एवं शासन के आदेश दिनांक 28.05.2010 के तारतम्य में एवजदार कर्मचारियों को नियमित किये जाने का आदेश करने की कृपा करें ।

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही एवं आख्या से कार्यकारिणी की आगामी बैठक में अवगत करायें ।

ह0.....महापौर

..... सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इसी नवम्बर माह में कार्यकारिणी की बैठक में पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जायेगा और सदन की बैठक आहूत की जायेगी । यह भी निर्णय लिया गया कि 14.11.2010 को बाल दिवस के अवसर पर बाल कवि गोष्ठी नगर निगम गेस्ट हाउस में आयोजित की जायेगी एवं 16.11.2010 को वर्तमान सदन के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बृजेन्द्र स्वरूप पार्क के पास स्थित परशुराम वाटिका का लोकार्पण महापौर एवं मा0 पार्षदों द्वारा किया जायेगा एवं संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा । इसी क्रम में दक्षिण के पालिका स्टेडियम का लोकार्पण भी दिसम्बर, 2010 के अन्तिम सप्ताह में करने का निर्णय लिया गया । नगर आयुक्त को तदानुसार व्यवस्थायें कराने के लिये निर्देशित किया गया ।

सभापति ने सभी सदस्यों से आज सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की पुष्टि पर अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने को कहा ।

..... सर्वसम्मति से दिनांक 01.11.2010 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई ।

.....

अन्त में सभापति द्वारा बैठक का समापन किया गया ।

ह0.....
(रवीन्द्र पाटनी)
महापौर / सभापति